संख्या– 221/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

डॉ0एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
नन्दप्रयाग,गोचर,कीर्तिनगर,डोईवाला,झबरेड़ा एवं लक्सर,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांक: 23 मार्च,2009

विषयः–द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायतों को धनराशि का संक्रमण (चतुर्थ त्रैमास किश्त हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–48/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नानुसार समस्त नगर पंचायतों को राज्य को वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी से मार्च) हेतु **रू0 17166931.00 (रू0 एक करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार नौ सौ इक्तीस मात्र)** अवमुक्त की गई थी। 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में अवमुक्त धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र ना मिलने के कारण उनको देय समनुदेशन से समायोजित किया गया था।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के कारण रोकी गई **धनराशि रू0 4114848.00 (रू0 इक्तालीस लाख चौदह हजार आठ सौ अडतालीस मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि शासनादेश सं0–48/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही व्यय की जायेगी।

4–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगरपंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः–221 (1)/XXVII(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, चमोली/देहरादून, हरिद्वार /टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7– मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून, हरिद्वार /टिहरी गढवाल,, उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10–एन0 आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(डॉ0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्याः 321 /XXVII (i) / 2009
दिनांकः 23 :मार्च,2009 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायतों को चतुर्थ त्रैमास से रोकी गई धनराशि का संकमण।

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2008–09 हेतु चतुर्थ किश्त हेतु देय संकमण	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1–नगर पंचायत				
1-	नन्दप्रयाग	471000	204740	266260
2-	गोचर	2449000	1283386	1165614
3-	कीर्तिनगर	471000	166111	304889
4-	डोईवाला	906000	348310	557690
5-	लक्सर	2188000	870969	1317031
6-	झबरेडा	735000	231636	503364
	योग	**7220000.00**	**3105152.00**	**4114848.00**

(रू0 इक्तालीस लाख चौदह हजार आठ सौ अड़तालीस मात्र)

(डॉ0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त।